न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न.–2025/250)

प्रकरण संख्याः–160/2025
तारीख दायरः–22/12/2025
निर्णय दिनांकः–13/01/2026

उनवान

1. असलम पुत्र कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी ठीकरिया खेडा गोरख्या तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

प्रार्थी।

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता त्रिलोकचन्द जाति कलाल निवासी भाग्योदय इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पुना कुम्भारिया रोड सुरत हाल निवासी दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. जेठूदेवी पत्नी सुवालाल जाति सालवी निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नारायणलाल पिता अम्बालाल तेली निवासी तेली मोहल्ला पालरा जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमनाथ पिता मांगुनाथ रावल जाति जोगी निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. भैरा पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. भागु रावल पिता सुआ रावल जाति जोगी निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. रणजीत पिता छोगा रावल जाति जोगी निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. दुर्गेश कुमार नानालाल गुर्जर पिता नानालाल गुर्जर निवासी देवनारायण मंदिर ऑप नीलकंठ महादेव मंदिर सायन सुरत, गुजरात

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 37 आराजी संख्या 1142/1137 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2250 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 एवं 08 की और जवाब प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

कर पत्थरगढी करवाई जाने पर सहमति प्रदान की। अप्रार्थी संख्या 01, 06 एवं 07 बावजूद सूचना तामिल अनुपस्थित होने से अप्रार्थीगण संख्या 01, 06 एवं 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिए गए।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम कालेसरिया पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 37 आराजी संख्या 1142/1137 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2250 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

13/1/26

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.) सत्यमेव जयते